वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 27.04.2024 के विनिश्चिय (निर्णय) :–

दिनांक 27.04.2024 को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के मा0 कुलपति महोदय की उपस्थिति में संपन्न भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति की बैठक में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

01. श्री अयाज अहमद, अध्यक्ष, भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति (सेवानिवृत इंजीनियर इन चीफ,लोक निर्माण विभाग) देहरादून।
02. प्रो0 संजय गैरोला, सदस्य, भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0वि0 (इलेक्ट्रीकल इंजी0 विभाग, जी0बी0पी0ई0सी0) पौडी।
03. श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक एवं सदस्य भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून।
04. प्रो0 सत्येन्द्र सिंह , कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून।

उक्त बैठक में समिति के दो सदस्य क्रमशः प्रो0 ज्योति प्रसाद एवं प्रो0पी0सी0गोप द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रतिभाग नहीं किया जा सका।

बैठक में चर्चा उपरांत निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये :–

क्रमांक	एजेण्डा बिन्दु	भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति का निर्णय
01	विश्वविद्यालय निधि से ₹ 983.31 लाख की लागत से निर्माणाधीन एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यो की समीक्षा ।	समिति द्वारा निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति के अवलोकन के उपरांत इस तथ्य को संज्ञान में लिया गया कि कार्यदायी संस्था के साथ निष्पादित एम0ओ0यू0 अनुसार माह मार्च, 2024 तक 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जानी निर्णित थी किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 24.04.2024 तक केवल 15 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही की गयी है जो निर्धारित प्रगति से 10 प्रतिशत कम है। इससे यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा समुचित गति से निर्माण कार्य को नहीं कराया जा रहा है एवं निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस क्रम में कार्यदायी संस्था को एम0ओ0यू0 के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार निर्धारित गति से भौतिक प्रगति न करने पर क्यों न 0.1 प्रतिशत की दर से कटौती किये जाने हेतु एक नोटिस पत्र प्रेषित कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। साथ ही निर्णय लिया गया कि एम0ओ0यू0 के बिन्दु संख्या 10 एवं 12 की अनुपालन आख्या भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से

निर्दिष्ट प्राविधानानुसार नियमित रूप से प्रेषित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाये।

भविष्य में इस समिति की आयोजित होने वाली बैठकों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को अनिवार्य रूप से सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

बैठक समाप्ति उपरांत भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति द्वारा निर्माणाधीन एकेडमिक भवन के कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया तथा कार्यदायी संस्था से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया :–

01. कार्यस्थल पर बनाये जा रहे कंक्रीट मिक्स में Water Cement Ratio निर्धारित मात्रा अनुसार ही प्रयोग मे लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मौके से निर्मित कंक्रीट मिक्स के 02 क्यूब भरकर उसकी जाँच कराये जाने हेतु महिला प्रौद्योगिकी संस्थान से श्री आयुष जोशी, सहायक प्राध्यापक (सिविल) को निर्देशित किया गया।

02. कार्यस्थल पर उपलब्ध भवन सामग्री रेत का सिल्ट टैस्ट कराये जाने हेतु सैंपल मौके से लेकर महिला प्रौद्योगिकी संस्थान से श्री आयुष जोशी, सहायक प्राध्यापक (सिविल) को निर्देशित किया गया।

03. निर्माणाधीन भवन की बड़ी लागत के दृष्टिगत कार्यस्थल पर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों को तत्काल ही इंस्टॉल कराकर प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि कार्यस्थल पर ही आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री की जाँच करायी जानी सम्भव हो सके।

04. निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्ध